छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित के पारंपरिक ताप विद्युत तथा जल विद्युत गृहों के लिये वर्ष 2021–22 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के वास्तविकीकरण (ट्रू–अप) हेतु माननीय छ.रा.वि.नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत याचिका क्र. 102/2022 की संक्षेपिका :

1. प्रस्तावना :–

छ.ग. राज्य विद्युत मंडल के पुनर्गठन के परिणाम स्वरुप छ.रा.वि.उत्पादन कं. लि. (एतद् पश्चात् उत्पादन कंपनी) द्वारा दिनांक 01/01/09 से कार्य निष्पादन प्रारंभ किया गया। यह याचिका छ.रा.वि.नि.आ. (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्वांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 एवं 2021 के अन्तर्गत, पारंपरिक ताप विद्युत तथा जल विद्युत संयंत्रों के लिये वर्ष 2021–22 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के वास्तविकीकरण (ट्रू–अप) हेतु प्रस्तुत की गई है। ताप विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले की कीमत का वास्तविकीकरण (ट्रू–अप) भी शामिल हैं।

टैरिफ विनियम के अनुसार ऊर्जा प्रभार की गणना कोयले की पहुँच लागत के आधार पर की जाती है। समेकित कोयला खदान से प्राप्त कोयले हेतु अंतर्ग्रहीत कीमत के आधार पर उक्त गणना की जाती है। आलोच्य अवधि में ए.बी.वी.टी.पी.एस. हेतु कोयले की आपूर्ति मुख्य रूप से समेकित कोयला खदान गारे पेल्मा–III से की गई है। इसके अतिरिक्त खदान से कुछ आपूर्ति डी.एस.पी.एम. टी.पी.एस. को भी की गई है। अतः छ.रा.वि.नि.आयोग बहुवर्षीय विद्युत टैरिफ विनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार उक्त खदान से प्राप्त कोयले की अंतर्ग्रहित कीमत के निर्धारण हेतु प्रार्थना सम्मिलित की गई है।

2. वर्ष 2021–22 का वास्तविकीकरण (ट्रू अप)

प्रस्तुत याचिका में हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा, 1x500 मेगावाट कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह एवं हसदेव–बांगो जल विद्युत गृह हेतु वर्ष 2021–22 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के वास्तविकीकरण की प्रार्थना सम्मिलित है।

वर्ष 2021–22 के ट्रू–अप हेतु सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षित एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत लेखा को आधार माना गया है।

प्रस्तुत याचिका में वर्ष 2021–22 हेतु सामान्यतः प्रारंभिक पूंजीगत लागत एवं पूंजी संरचना वही मानी गई है जो माननीय आयोग द्वारा आदेश दिनांक 13.04.2022 में वित्तीय वर्ष 2020–2021 के वर्षांत पर निर्धारित की गई है। अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु पूर्ववर्ती आदेश में माननीय आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति अंगीकृत की गई है।

3. वास्तविकीकरण हेतु अपनायी गई प्रकिया एवं अवलंबित सिद्धांत

वास्तविकीकरण के लिए छ.रा.वि.नियामक आयोग द्वारा पूर्ववर्ती आदेशों में अपनायी गई प्रक्रिया एवं बहुवर्षीय विद्युत दर निर्धारण विनियम 2015 में अवधारित सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

- विनियम 17.1 एवं 17.3 के अनुसार पूंजी संरचना, विनियम 34 एवं 35 के अन्तर्गत विद्युत दरों के अवयव निर्धारित किये गये हैं। विनियम 22 में पूंजी पर प्रतिलाभ, विनियम 23 में ऋण पर ब्याज (नियामक ऋण सहित), विनियम 24 में मूल्य ह्रास, विनियम 25 में कार्यशील पूंजी पर ब्याज, विनियम 38.5 में संचालन–संधारण व्यय एवं विनियम 41 में परिवर्तनीय लागत (ईंधन की लागत) के संबंध में विस्तृत सिद्धांत प्रतिपादित है। विनियम 38.6 में विद्युत दरों के अलावा होने वाली आय प्राविधित है। इसके अतिरिक्त पेंशन कोष अंशदान बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के अनुपालन में दिया गया है ।

- प्रस्तुत याचिका में मुख्यतः उपरोक्त प्रावधानों को ही अपनाया गया है साथ ही प्रत्येक मद में माननीय आयोग द्वारा पूर्ववर्ती आदेशों में अपनाई गई प्रक्रिया एवं प्रस्तुत याचिका में गणना आधार को भी विभिन्न उपशीर्षकों के अन्तर्गत विस्तार से आलेखित किया गया है।

- याचिका में संचालन मानकों, परफॉर्मेंस मानको में पड़ने वाले प्रभाव, पूर्ववर्ती वर्षों के दायित्व/प्राप्ति समायोजन तथा लाभ/हानि में सहभागिता आदि को समावेशित किया गया है।

- याचिका की पूर्ववर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित सिद्धांतों के अनुसार वास्तविकीकरण (ट्रू–अप) हेतु हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा, 1x500 मेगावाट कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह एवं हसदेव–बांगो जल विद्युत गृह हेतु दरों के विभिन्न अवयवों यथा अंशपूंजी पर प्रतिलाभ, मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज एवं वित्त पोषण व्यय, संचालन संधारण व्यय, ग्रेच्युटी एवं पेंशन कोष में योगदान, तेल एवं कोयले पर व्यय, कार्यशील पूंजी पर ब्याज आदि की गणना की गई है। संदर्भानुसार विस्तृत प्रार्थना तर्कों एवं तथ्यों सहित सम्मिलित की गई है। विनियम 11.1 (b), 'विधि में परिवर्तन' के अंतर्गत संशोधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के फलस्वरूप राख के उपयोग हेतु आवश्यक व्यय का विवरण दिनांक 13.04.2022 के आदेश में स्वीकृत पद्धति अनुसार अनुमोदनार्थ सम्मिलित किया गया है।

- माननीय आयोग द्वारा आदेश दिनांक 13.04.2022 में गारे पेलमा–III स्थित समेकित कोयला खदान का वाणिज्यिक परिचालन दिनांक (COD) दिनांक 01.04.2021 निर्धारित किया गया था। अस्थायी रूप से पूँजीगत लागत का निर्धारण भी किया गया था। वर्तमान याचिका में लेखा परीक्षित खातों के आधार पर वर्ष 2021–22

हेतु कोयला खदान से प्राप्त कोयले की अंतर्ग्रहित कीमत का निर्धारण शामिल किया गया है। इस हेतु मुख्य रूप से टैरिफ विनियम 2021 के अध्याय 5 के प्रावधानों का अनुसरण किया गया है तथा विनियम 52.1, 52.3 एवं 57 के अनुसार कोयले की अंतर्ग्रहित कीमत के विभिन्न अवयवों की गणना की गई है। याचिका में कोयले की अंतर्ग्रहित कीमत के आधार पर लाभ–हानि में सहभागिता को भी संबंधित विनियमों के उल्लेख एवं विवेचना के साथ शामिल किया गया है। तदानुसार आंकलित कोयले की लागत को ए.बी.वी.टी.पी.एस. एवं डी.एस.पी.एम.टी.पी.एस. हेतु कोयले की दर के निर्धारण में विनियमानुसार सम्मिलित किया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्तविकिकरण के कारण राजस्व कमी / आधिक्य :–

विनियमों के अनुसार गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 21–22 में सकल राजस्व प्राप्ति एवं वार्षिक राजस्व आवश्यकता की तुलना करने पर रुपये 445.08 करोड़ की राजस्व कमी अभिकलित की गयी है। स्थापित सिद्धांत के अनुसार उस पर कैरिंग कॉस्ट जोड़ने पर वर्ष 23–24 में रुपये 534.59 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की 12 समान किश्तों में पूर्ति हेतु छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा माननीय आयोग से प्रार्थना प्रस्तुत की गयी है। संयंत्रवार राजस्व आवश्यकता एवं राजस्व आधिक्य / कमी का विवरण संलग्नक (अ) में प्रस्तुत है।

संलग्नक (अ)

समीक्षाधीन अवधि हेतु उपरोक्तानुसार अभिकलित सकल राजस्व आवश्यकता एवं अभिकलित राजस्व की कमी का विवरण :—

वर्ष 2021—22

संयंत्रवार राजस्व आवश्यकता का विवरण

करोड़ रु. में

विवरण	ह.ता.वि.गृह	डी.एस.पी.एम टी.पी.एस.	कोरबा पश्चिम (1x500 मे.वा.) टी.पी.पी.	ए.बी.वी. टी.पी.एस, मड़वा	हसदेव बांगो
मूल्यह्रास	35.31	130.16	222.49	521.53	2.77
ब्याज और वित्तीय प्रभार	21.28	8.07	161.28	545.28	0.00
अंश पूंजी पर प्रतिलाभ	70.65	109.86	97.16	169.41	5.91
संचालन संधारण व्यय	308.12	171.06	115.21	252.12	8.07
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	28.47	21.35	18.11	37.76	1.02
अन्य आय	10.48	6.10	5.82	12.32	0.02
कुल वार्षिक स्थिर प्रभार	**453.36**	**434.39**	**608.43**	**1,513.78**	**17.75**
कोयले की लागत	740.08	583.42	511.17	811.59	0.00
ईंधन तेल की लागत	27.57	3.01	6.58	16.08	0.00
कुल ऊर्जा प्रभार	**767.65**	**586.43**	**517.75**	**827.66**	**0.00**
पेंशन/ग्रेच्युटी कोष सहभागिता	104.49	38.77	23.21	63.46	3.30
राख के उपयोग हेतु आवश्यक व्यय	6.56	1.42	4.51	19.14	0.00
सकल राजस्व आवश्यकता	**1,332.06**	**1,061.01**	**1,153.90**	**2,424.04**	**21.05**

प्रस्तुत याचिका में राजस्व आधिक्य/कमी निम्नानुसार रही:—

करोड़ रु. में

	FY 2021-22
विवरण	
सकल राजस्व आवश्यकता	6,360.17
कुल राजस्व	5,915.09
वर्ष के दौरान राजस्व (आधिक्य)/कमी	**445.08**

वास्तविकीकरण के कारण राजस्व आधिक्य/कमीः–

करोड़ रु. में

विवरण	**FY 2021-22**	**FY 2022-23**	**FY 2023-24**
राजस्व (आधिक्य)/कमी वर्ष के प्रारंभ में	-	469.33	511.58
राजस्व (आधिक्य)/कमी वर्ष के दौरान	445.08	-	
राजस्व (आधिक्य)/कमी वर्ष के अंत में	445.08	469.33	-
ब्याज दर	10.90%	9.00%	9.00%
वहन लागत वर्ष के दौरान	24.26	42.24	23.02
कुल राजस्व (आधिक्य)/कमी	**469.33**	**511.58**	**534.59**
कुल राजस्व कमी			**534.59**
वित्त वर्ष 23–24 में 12 समान किस्तो मे प्रस्तावित मासिक रिकवरी			44.55

****